

प्रतिलिपि आदेशादिनांक 18-6-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिखरे
सदस्य राजस्व मण्डल मज्जुल *वाणियर पुष्कर निगाड 952-वी/15
विरुद्ध आदेशादिनांक 30-8-12 पारित द्वारा कलेक्टर जिला टाकमगढ
पुकरणाक्रमांक 199/बी-121/2011-2012/स्वनिगाड/11-12/252.

नधुआ तनय लखट अरि

निवासायान सुजानपुरा तहसील बलेश्वरगढ

जिला टाकमगढ मज्जुल अन्ध-1

--- आवेदकगण

विरुद्ध

महयप्रदेशशासन द्वारा


कलेक्टर जिला टाकमगढ

-- अनारवेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निगा 0. 952-दो/12 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-6-14	<p>आवेदक के अधिपक्ता श्री बा० एम शर्मा द्वारा दिनांक 20-2-13 को यह निगराना प्रस्तुत की था जो राजस्व मण्डल में दिनांक 26-2-13 को प्राप्त हुई है। राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा आवेदक व आवेदक अधिपक्ता को सूचना जारी की उसके बाद भी वह उपस्थित नहीं हुये। अतः आवेदक व आवेदक के अधिपक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पौरवा में छात्रिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">  अदम पौरवा सदस्य </p>	